महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक :– रू0वि0/सम्ब0/2015/10848 दिनांक 03.10.2015

सेवा मे,

प्रबन्धक,
एक्मे इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी,
बरेली।

विषय : संस्था एक्मे इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, बरेली को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम/विषयों में अग्रेतर सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 21.08.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्था एक्मे इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, बरेली को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में अग्रेतर सम्बद्धता की अनुमति सत्र 2015–16 से प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय के पत्रांक रू0वि0/सम्ब0/2015/4530–40, दिनांक 10.05.2015 द्वारा संस्था एक्मे इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, बरेली को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी0एड0 (02 यूनिट 100 सीट) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत अग्निशमन का नवीनीकरण तथा परीक्षाफल वांछित होने के दृष्टिगत दिनांक 01.07.2015 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गई थी। संस्था द्वारा वांछित पत्रजात विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दिये गये हैं। कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 01.10.2015 के अनुपालन में आपके महाविद्यालय को दिनांक 01.07.2015 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रेतर सम्बद्धता की अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. संस्थान/महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
2. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

डॉ0(एस0एल0 मौर्य)
कुलसचिव